बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग।

–

3728
27.03.2017

संकल्प

पटना–15, दिनांक मार्च, 2017

निगरानी विभाग(अन्वेषण ब्यूरो), बिहार के पत्रांक–2756/अप.शा. दिनांक 06.12.2016 द्वारा सूचित किया गया था कि श्री एस. एम. राजू, भा.प्र.से.(91) सम्प्रति निलंबित, तत्कालीन सचिव, अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना–तदेन अपर सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना के विरूद्ध राज्य के बाहर विभिन्न तकनीकी संस्थानों/महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/ जनजाति के छात्रों तथा छात्राओं को वर्ष 2013–14 और इससे पूर्व के वर्षों में छात्रवृति भुगतान में हुई अनियमितताओं के मामलों में भ्रष्टाचार अधिनियम–1988 की धारा–13(2)–सह–पठित धारा–13(1)(सी) (डी) के अंतर्गत निगरानी थाना कांड संख्या–127/16, दिनांक 29.11.16 दर्ज किया गया है जो सम्प्रति अनुसंधानान्तर्गत है।

2. मामले की गंभीरता, निहित नैतिक भ्रष्टाचार एवं उनके कर्त्तव्य निर्वहन में संभावित असहजता को देखते हुए तथा मामला अनुसंधानांतर्गत होने के कारण सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरांत अखिल भारतीय सेवायें (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–1969 के नियम–3 के उपनियम–3 के प्रावधानों के अंतर्गत श्री एस. एम. राजू, भा.प्र.से.(1991), तत्कालीन सचिव, अनुसूचित जाति/ जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना–तदेन अपर सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार को तत्काल प्रभाव से आदेश संख्या–336 दिनांक 12.01.2017 द्वारा निलंबित किया गया है।

3. निलंबन की अवधि में श्री राजू का मुख्यालय सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में निधारित है।

4. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग), भारत सरकार के अधिसूचना दिनांक 21.12.2015 की कंडिका–2(iii) के आलोक में भारतीय प्रशासनिक सेवा के बिहार संवर्ग के श्री एस. एम. राजू, भा.प्र.से.(1991) के निलंबन की प्रथम समीक्षा निलंबन समीक्षा समिति द्वारा दिनांक 07.03.2017 को की गई है। श्री राजू का मामला अनुसंधानान्तर्गत होने की स्थिति में विचारोपरांत निलंबन को बरकरार रखने की अनुशंसा की गयी है।

5.अतः दिनांक 07.03.2017 को आयोजित निलंबन समीक्षा समिति की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरांत श्री एस. एम. राजू, भा.प्र.से.(बिहारः 1991) तत्कालीन सचिव, अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना–तदेन अपर सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना को निलंबन में बनाये रखने का निर्णय लिया गया है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(दयानिधान पाण्डेय)

सरकार के अपर सचिव।

(कृ.पृ.उ.)

ज्ञापांकः– 6/आ0–376/2006(खण्ड)सा0प्र0–3728 पटना, दिनांक 27.03.2017

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/ सचिव, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/ स्थापना पदाधिकारी, कैरियर मैनेजमेंट डिवीजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली/ स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/ मुख्य सचिव, बिहार, पटना/ राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार, पटना/ मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/ सरकार के सभी विभाग/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त /सभी जिला पदाधिकारी/ उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, विकास भवन और सिंचाई भवन, पटना/ सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के प्रशाखा–01/ प्रशाखा–06 (निलम्बन समीक्षा पटल हेतु) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांकः– 6/आ0–376/2006(खण्ड)सा0प्र0– पटना, दिनांक

प्रतिलिपिः– श्री एस. एम. राजू, भा.प्र.से.(91) सम्प्रति निलंबित, तत्कालीन सचिव, अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना–तदेन अपर सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना सम्प्रति मुख्यालय सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांकः– 6/आ0–376/2006(खण्ड)सा0प्र0–3728 पटना, दिनांक 27.03.2017

प्रतिलिपि–प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में (द्वारा–आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार) प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।